न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – रंजना (आर.जे.एस.)
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – B.T. No. 211/23 (340/15)
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – REG. CRI. CASE/328/2015
सीएनआर नंबर – RJJH020012362015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 143/2015, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं
अपराध अंतर्गत धारा – 323,324,326,341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	श्रीमती सुमन पत्नी सुरेश कुमार, उम्र 28 साल, निवासी भूरासर, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
प्रस्तुतकर्ता	सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	01. विरेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर, उम्र 52 साल, 02. कोशल्या पत्नी विरेंद्र कुमार, उम्र 50 साल, निवासीगण भूरासर, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री उम्मेद सिंह
अधिवक्ता परिवादिया	श्री संदीप झाझड़िया

B

अपराध की दिनांक	21.07.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.07.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	26.08.2015
आरोप लगाए जाने की दिनांक	04.12.2015
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	02.12.2016
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	25.03.2026
निर्णय दिनांक	25.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	विरेंद्र	31.07.15	11.08.15	323/34, 341/34, 326/34 IPC 324/34, IPC	दोषमुक्त दोषसिद्ध	मद संख्या 24 व 25 के अनुसार	–
02	कोशल्या	12.08.15	13.08.15	323/34, 341/34, 326/34 IPC 324/34, IPC	दोषमुक्त दोषसिद्ध		–

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	श्रीमती सुमन	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 2	अनिल	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 3	सुरेश	चश्मदीद गवाह/आहत
पी.डब्ल्यू 4	कपिल	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 5	बनवारी	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 6	विकास	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 7	रामस्वरूप	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 8	श्रीमती दीपक	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 9	श्रीमती बबीता	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 10	डॉ. लोकेश चावला	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू. 11	रामेश्वरलाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 12	पवन	अन्य गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	पर्चा बयान
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी.03	बयान अं.धारा 161 दं.प्र.सं. बनवारी
04	प्रदर्श पी.04	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त विरेंद्र कुमार
05	प्रदर्श पी-05	फर्द बरामदगी गण्डासी
06	प्रदर्श पी-06	नक्शा मौका बरामदगीस्थल
07	प्रदर्श पी-07	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता कोशल्या
08	प्रदर्श पी-08	फर्द बरामदगी लोहे का कुल्हाड़ा
09	प्रदर्श पी-09	नक्शा मौका बरामदगीस्थल लोहे का कुल्हाड़ा
10	प्रदर्श पी-10	चोट प्रतिवेदन मजरूबा श्रीमती सुमन
11	प्रदर्श पी-11	चोट प्रतिवेदन मजरूब सुरेश कुमार
12	प्रदर्श पी-12	चोट प्रतिवेदन आहत अनिल कुमार
13	प्रदर्श पी-13 से 16	एक्स–रे प्लेट्स मजरूब सुरेश कुमार
14	प्रदर्श पी-17	एक्स–रे कवर नोट मजरूब सुरेश कुमार
15	प्रदर्श पी-18	एक्स–रे प्लेट आहत अनिल कुमार
16	प्रदर्श पी-19	एक्स-रे कवर नोट आहत अनिल कुमार
17	प्रदर्श पी-20	चाक एफ.आई.आर.
18	प्रदर्श पी-21	फर्द इत्तिला अभियुक्त विरेंद्र कुमार
19	प्रदर्श पी-22	फर्द इत्तिला अभियुक्ता कोशल्या
20	प्रदर्श पी-23	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
21	प्रदर्श पी-24	अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड
22	प्रदर्श पी-25	बयान अं.धारा 161 दं.प्र.सं. पवन

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी–01	बयान अं.धारा 161 दं.प्र.सं. श्रीमती सुमन
02	प्रदर्श डी–02	बयान अं.धारा 161 दं.प्र.सं. अनील कुमार

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
01	आर्टिकल-01	फर्द जब्ती कुल्हाड़ी लोहे की जिसके लकड़ी का हत्था लगा है
02	आर्टिकल-02	फर्द जब्ती लोहे की गंडासी, जिसके लकड़ी का हत्थ लगा है

01. यह प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के आदेशानुसार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं से विधिनुकूल निस्तारण हेतु अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 21.07.2015 को समय 4.15 पी.एम. पर बी.डी.के. अस्पताल झुंझुनूं में जैर इलाज परिवादिया श्रीमती सुनम पत्नी सुरेश कुमार ने पुलिस थाना सदर झुंझुनूं के एच.सी. नं. 38 श्री रामेश्वर को पर्चा बयान इस आशय का दिया कि वह गांव भूरासर की रहने वाली है व घरेलू काम करती है। दिनांक 21.07.2015 को 2.00 पी.एम. के आस–पास उसका भाई अनिल पुत्र श्री हनुमान सिंह करीब 1–1½ महिने से उसके पास गाँव भूरासर रह रहा है। वह व उसका पति सुरेश कुमार दोनों अपने खेत में जा रहे थे तो जैसे ही विरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर के घर के सामने पहुँचे तो अचानक पीछे से विरेन्द्र, सोमवीर पुत्र विरेंद्र व कौशल्या पत्नी विरेंद्र और इनके साथ चार आदमी और थे, जिनको वह नहीं जानती, उनके हाथों में कुल्हाड़ी व गंडासी थी। उन दोनों को पकड़ कर कुल्हाड़ी व गंडासी से मारपीट की। मारपीट से उसकी पीठ व दाहिने हाथ पर चोट लगी। उसके पति के शरीर पर भी काफी चोट आई है। रोला–रब्बा हुआ तब पवन कुमार पुत्र बजरंग लाल व उसका भाई अनिल भी आए। उसके भाई अनिल के साथ भी उक्त लोगों ने मारपीट की, फिर उन्हें अलग–अलग कर दिया। फिर वे बी.डी.के. अस्पताल झुंझुनूं में आकर भर्ती हो गए। उक्त रिपोर्ट को प्रमाणित करते हुए श्री रामेश्वर एच.सी. ने अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पर्चा बयान श्रीमती सुमन पत्नी सुरेश कुमार निवासी भूरासर थाना सदर झुंझुनू हाल जैर इलाज भर्ती BDK अस्पताल झुंझुनू के बोले अनुसार शब्द–ब–शब्द लिखे गए। मजरूबा सुमन का पर्दे का लिहाज रखते हुए जिस्म तस्दीक किया गया तो दाहिने हाथ पर सूजननुमा चोट व बाएं पैर के अंगूठे के पास वाली अंगुली पर खरोंचनुमा चोट व पीठ में एक खरोंचनुमा चोट है। मजमून पर्चा बयान जिस्म तस्दीक से जुर्म धारा 143, 341, 323 IPC का वकू आना पाया जाता है....इत्यादि वापसी पर उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना सदर झुंझुनूं द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 143/2015 अंतर्गत धारा 143,341,323 भारतीय दंड संहिता दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र अं.धारा 341,323,324,326 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 341,323,324,326 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया। दिनांक 10.01.2018 को परिवादिया/आहतगण सुमन, सुरेश व अनिल ने अभियुक्तगण विरेंद्र व कौशल्या से अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता भारतीय दंड संहिता में राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक किया गया। अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 324, 326 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का विचारण शेष रहा।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पक्षकारान ने पृष्ठ संख्या–03 पर भाग 'अ' व 'ब' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को निर्दोष होना, झूठा फंसाया जाना व आपस में राजीनामा होना जाहिर किया। अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

06. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को शेष धारा में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

07. उक्त तर्कों पर विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि चश्मदीद गवाहान बनवारी व पवन प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष से राजीनामा हो गया है। न्यायालय में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास आया है। एक्स–रे प्लेट मय कवर नोट के संबंध में रेडियोलोजिस्ट को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हो पाया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

08. चूंकि पत्रावली में पक्षकारों के मध्य धारा 323,341 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में राजीनामा तस्दीक हो चुका है। अतः न्यायालय को अब केवल शेष आरोप धारा 324, 326 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता बाबत ही साक्ष्य को देखा जाना है। अतः

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि–

बिन्दु संख्या 01

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.07.2015 को समय 2.00 पी.एम. पर ग्राम भूरासर में अन्य सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में सुरेश कुमार के साथ स्वेच्छया धारधार हथियार से मारपीट कर साधारण व गंभीर उपहति/अस्थिभंग कारित की व आहत अनिल के साथ गंभीर उपहति/अस्थिभंग कारित की?

बिन्दु संख्या 02 – यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

09. उक्त विचारणीय बिन्दू संख्या 01 के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखा जाए तो अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें से मुख्य गवाहान परिवादिया, उसका पति सुरेश व परिवादिया का भाई अनिल है, जो कि प्रकरण में आहतगण भी है। गवाहान की साक्ष्य का उनकी सुसंगतता के अनुरूप यथास्थान पर विवेचन किया जा रहा है। प्रकरण की परिवादिया पी.डब्ल्यू.–01 श्रीमती सुमन है, जिसके पर्चा बयान के आधार पर ही प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ जाहिर किया है कि दिनांक 21.07.2015 को समय दोपहर 2–2.30 बजे वह और उसका पति अपने खेत में जाने के लिए विरेन्द्र कस्वा के घर के आगे से जा रहे तो विरेन्द्र कस्वा, कोशल्या, सोमवीर, वन्दना, जयलाल व एक अन्य जिसका वह नाम नहीं जानती, ने उनके ऊपर हमला किया। विरेन्द्र व सोमवीर के पास कुहाड़ा व कौशल्या के पास गंडासी, विरेन्द्र की बेटी वंदना, जयलाल व अन्य के हाथ में लाठी थी। गवाह आगे उक्त लोगों के द्वारा उसके पति के सिर, हाथ–पैरों पर चोटें मारना जाहिर करते हुए कथन करती है कि वह अपने पति से थोड़ा आगे चली रही थी तो पीछे से सोमवीर ने कुल्हाड़ी की फेक कर उसकी पीठ पर मारी। उसने अपने भाई अनिल को फोन किया तो अनिल उस समय उनके पास आया व छुडाने लगे तो अनिल के भी चोटें मारी। अनिल के कुल्हाड़ी की चोट से एक अंगूठा कट गया। सोमवीर ने उसके हाथ पर कुल्हाड़े से चोटे मारी तो उसने कुल्हाड़ा दुसरे हाथ से पकड़ फेक दिया। फिर उसकी देवरानी का भाई पवन ट्रैक्टर लेकर आ गया जो उधर से खेत में जा रहा था। फिर उन सब ने तथा आस–पास के लोगों से मिलकर छुड़ाया। फिर वो लोग गांव में वापिस नहीं आये, उधर से ही झुंझनूं की तरफ से आ गये व झुंझुनूं में एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके उपरांत वे अस्पताल में भर्ती हो गये। अस्पताल में पुलिस ने उसका पर्चा बयान लिया, जो प्रदर्श पी 1 है व पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था। गवाह उक्त फर्दात पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर होना बताती है। गवाह दो महीने पहले भी अभियुक्तगण के द्वारा झगड़ा करना बताती है। **दौराने प्रतिपरीक्षा** गवाह जाहिर करती है कि उनका क्रोस केस न्यायालय में चल रहा है और दो महीने पहले दिनांक 21.05.2015 को उसके पति को मारा था, जिस पर वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। गवाह जाहिर करती है कि प्रदर्श डी–01 में कौशल्या के पास कुल्हाड़ा होना नहीं है और सोमवीर द्वारा उसके पीछे से कुल्हाड़ा मारने की बात उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी–01 में नहीं है। गवाह यह भी जाहिर करती है कि उसके पति की मारपीट शुरू हुई तो वह आगे भाग गई। गवाह सात–आठ साल से उनके मुकदमे चलना बताते हुए जाहिर करती है कि जब वे खेत में से जाते है तो उनके साथ लड़ाई–झगड़ा करते है।

10. न्यायालय में परीक्षत अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.–03 सुरेश, जो कि परिवादिया का पति है तथा प्रकरण में आहत भी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादिया के ही कथनों को दोहराते हुए विरेंद्र व कौशल्या के द्वारा कुल्हाड़ी व गण्डासी से उसके बांए हाथ, दाहिने हाथ की हथैली व सिर पर चोट मारना बताया है, जिससे उसके दाहिने हाथ की नस कट जाना भी बताया है। गवाह अभियुक्तगण के द्वारा उसकी पत्नी सुमन व सुमन के भाई अनिल के भी बीच–बचाव कराने के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना, जिससे अनिल के बांए हाथ पर चोट आना बताया है। गवाह मारपीट से उनका गंभीर रूप से घायल हो जाना, जिस पर अस्पताल में जाकर चोटों का मुआयना करवाना जाहिर किया है। **दौराने प्रतिपरीक्षा** गवाह कथन करता है कि वह व उसकी पत्नी दोनों जा रहे थे और उसकी पत्नी उससे थोड़ा आगे थी। गवाह जाहिर करता है कि उसका खेत विरेंद्र के खेत के आगे है व विरेंद्र के खेत से होकर उसके खेत में जाना पड़ता है। गवाह आपस में कोई रंजिश होने से इंकार करता है। गवाह मारपीट से नीचे गिर जाना व विरेंद्र व कौशल्या के द्वारा कुल्हाड़ी व गंडासी से वार करना बताता है। गवाह अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ पकड़ कर मारपीट करना बताता है।

11. इसी प्रकार परिवादिया का भाई पी.डब्ल्यू.–02 अनिल ने भी उपरोक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य को दोहराते हुए अभियुक्तगण व अन्य के द्वारा कुल्हाड़ी, लाठी आदि से उसकी बहिन सुमन व बहनोई सुरेश के साथ मारपीट करना, उसके द्वारा आकर बीच–बचाव करने पर उसके हाथ के अंगूठे पर कुल्हाड़ी व लाठियों से मारना व मारपीट में उनके शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित होना बताते हुए घटना के बाद अस्पताल जाकर चिकित्सीय उपचार आदि लेना जाहिर करता है। **दौराने प्रतिपरीक्षा** गवाह जाहिर करता है कि गवाह अभियुक्तगण के पास कुल्हाड़ी होना बताता है और उक्त बात पुलिस को बताना तथा

प्रदर्श डी–02 में उक्त तथ्य का अंकन नहीं होना स्वीकार करता है। गवाह पक्षकारान के बीच में मुदकमे–बाजी होना जाहिर करते हुए कथन करता है कि उसका बहनोई लाठी के लगने से बेहोश हो गया व उसका हाथ सिर काट रखा था।

इस प्रकार उक्त तीनों ही गवाहान जो स्वयं आहतगण होकर प्रकरण के चश्मदीद गवाहान भी है उन्होंने अभियोजन कहानी की ताईद की है व अभियुक्तगण के द्वारा ही उनके साथ लाठी, कुल्हाड़ी आदि से मारपीट करना बताया है।

12. आहतगण सुरेश व अनिल के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि पत्रावली पर मौजूद चोट प्रतिवेदन से भी होती है, जिसके संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 10 डॉ. लोकेश चावला न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 21.07.2015 को वह चिकित्साधिकारी के पद पर बी.डी.के. अस्पताल झुंझुनूं में कार्यरत था। गवाह उस दिन मजरूबा सुमन के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 होना व उसके शरीर पर साधारण चोटें आना बताता है। गवाह उसी दिन मजरूब सुरेश कुमार के शरीर पर आई चोटों के संबंध में कथन करते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–11 तैयार करना, जिसके सभी चोटें धारदार हथियार से कारित होना, चोटों की अवधि छः घंटे के भीतर की होना, एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–13 ता 16 होना, एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी–17 होना, जिसके अनुसार चोट संख्या 2 व 3 साधारण प्रकृति की व चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की होना बताता है। इसी प्रकार गवाह उक्त दिनांक को पुलिस थाना सदर के प्रतिवेदन पर ही अनिल कुमार के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 तैयार करना, जिसकी चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित होना व चोट संख्या 01 धारदार हथियार से कारित होना बताते हुए चोट की प्रकृति के लिए एक्स–रे की राय देना, चोटों की अवधि परीक्षण के समय छः घंटे के भीतर की होना तथा दोनों ही मजरूबान का एक्स–रे उसकी उपस्थिति व निर्देशन में प्रदीप कुमार रेडियोग्राफर के द्वारा तैयार किया जाना बताते हुए एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–18 व कवर नोट प्रदर्श पी–19 की ताईद करता है। मजरूब अनिल कुमार के दाये अंगूठे के चोट गंभीर प्रकृति की होना बताता है। **दौराने प्रतिपरीक्षा** गवाह जाहिर करता है कि प्रदर्श पी–10 में उल्लेखित चोटें कठोर धरातल पर गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता व प्रदर्श पी–11 व 12 अगर कोई व्यक्ति किसी धारदार वस्तु का हथेली या हाथ के बल गिरता है तो आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

13. गवाहान पी.डब्ल्यू.–06 विकास, पी.डब्ल्यू.–07 रामस्वरूप, पी.डब्ल्यू.–08 श्रीमती दीपक व पी.डब्ल्यू.–09 श्रीमती बबीता स्वयं को पुलिस थाना सदर में कांस्टेबल के पद पर तैनात होना व उनके सामने अनुसंधान अधिकारी के द्वारा संधारित की गई कार्यवाही के संबंध में कथन करते है। गवाहान पी.डब्ल्यू.–06 विकास, पी.डब्ल्यू.–07 रामस्वरूप उनके सामने अभियुक्त विरेंद्र को जरिए प्रदर्श पी–04 के गिरफ्तार करना, जिसके द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गई इत्तिला के आधार पर फर्द बरामदगी गंडासी प्रदर्श पी–05 व बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 की ताईद करते है। गवाहान जाहिर करते है कि उनके सामने अभियुक्त ने अपने खेत में बने रिहायशी मकान से एक गंडासी बरामद करवायी थी। इसी प्रकार गवाहान पी.डब्ल्यू.–08 श्रीमती दीपक व पी.डब्ल्यू.–09 श्रीमती बबीता उनके सामने अभियुक्ता कौशल्या को जरिए प्रदर्श पी–07 के गिरफ्तार करना, जिसके द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गई इत्तिला के आधार पर फर्द बरामदगी लोहे का कुल्हाड़ा प्रदर्श पी–08 व बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 की ताईद करते है। गवाहान जाहिर करते है कि उनके सामने अभियुक्ता ने अपने खेत में बने रिहायशी मकान से एक कुल्हाड़ा बरामद करवाया था।

14. गवाह पी.डब्ल्यू.–04 कपिल नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–02 का गवाह है, जो कि उक्त नक्शा मौका, जहां पर मारपीट हुई, वहां का होना बताते हुए उस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताता है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह जाहिर करता है कि नक्शा मौका पर कहां हस्ताक्षर किए, आज उसे ध्यान नहीं है।

15. गवाहान पी.डब्ल्यू.–05 बनवारी व पी.डब्ल्यू.–12 पवन हालांकि पक्षद्रोही हुए है, लेकिन गवाह बनवारी की साक्ष्य में यही आया है कि सुरेश कुमार व सुमन के साथ मारपीट हुई थी और मारपीट करने वाले विरेंद्र कुमार व उसकी पत्नी कौशल्या थे। गवाह पवन भी जाहिर करता है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो सुरेश व बिजू के चोटें लगी हुई थी।

16. गवाह पी.डब्ल्यू. 11 रामेश्वरलाल की साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिसने अपने अपनी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा परिवादिया का पर्चा बयान परिवादिया के कथनानुसार लिखना, पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज होना, अनुसंधान उसके द्वारा किया जाना व अनुसंधान के दौरान संकलित की गई साक्ष्य को शामिल पत्रावली कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी मदनलाल को सुपुर्द करना बताता है। गवाह अभियुक्ता कौशल्या की इत्तिला पर एक कुल्हाड़ी लोहे की जिसके लकड़ी का हत्था लगा है व अभियुक्त विरेंद्र की इत्तिला पर एक लोहे की गंडासी,

जिसके लकड़ी का हत्थ लगा है, बरामद किया जाना बताता है। उक्त जब्तशुदा माल पर आर्टिकल 01 व 02 डाले गए। **दौराने प्रतिपरीक्षा** अधिवक्ता अभियुक्त गवाह इस सुझाव को गलत बताता है कि उक्त आर्टिकल खेत से बरामद हुए हो, बल्कि वह रिहायशी मकान से बरामद होना बताता है। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि ऐसे हथियारों से मिलते जुलते हथियार बाजार व सभी के घरों में आम तौर पर मिलते है, गवाह स्वयं कथन में जाहिर करता है कि उसने जो हथियार बरामद किए थे, वे अभियुक्तगण के कब्जे से किए थे।

इस प्रकार उक्त गवाह जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने भी उसके द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रमाणित करते हुए अभियुक्तगण की इत्तिला के आधार पर अभियुक्तगण के कब्जे से गण्डासी व कुल्हाड़ा बरामद होना बताता है, जिसकी ताईद पुलिस जाप्ते के अन्य गवाहान ने भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर की है। इस प्रकार गवाह अनुसंधान अधिकारी होकर दौराने अनुसंधान की गई कार्यवाहियों के संबंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है। उक्त गवाह की जिरह में ऐसा कोई विरोधाभास उभर कर कर नहीं आया है जिससे उसके द्वारा किया गया अनुसंधान दुषित होता हो।

17. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि गवाहान पी.डब्ल्यू.–01 सुमन, पी.डब्ल्यू.–02 अनिल व पी.डब्ल्यू.–03 सुरेश ने एक स्वर में अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ कुल्हाड़ी, गंडासी व लाठी आदि से मारपीट करने के संबंध में कथन किया है। अन्य गवाहान जो पक्षद्रोही हुए है, उनकी भी साक्ष्य से घटनास्थल पर मारपीट होना जिससे परिवादी पक्ष के चोटें आने की ताईद होती है। घटना की रिपोर्ट भी बिना किसी विलंब के घटना की दिनांक को ही पर्चा बयान के आधार पर दर्ज हुई है। गवाहान की साक्ष्य से नक्शा मौका घटनास्थल व अन्य दस्तावेजो की भी ताईद होती है। मजरूबान सुरेश कुमार व अनिल कुमार के आई चोटों की ताईद चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–11 व 12 से भी होती है, जिसकी ताईद गवाह पी.डब्ल्यू.–10 डॉ. लोकेश चावला की साक्ष्य से होती है। अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क की आहतगण के चोटें कठोर धरातल से टकराने से आना संभव है व अगर कोई व्यक्ति किसी धारदार वस्तु हथेली या हाथ के बल पर गिरता है तो उससे भी आना संभव है, के संबंध में न्यायालय यह पाता है कि जिस प्रकार की चोटें आहतगण के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी– 11 व 12 में आई हैं, वे चोटें गिरने–पड़ने से आई हो, ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय में नहीं आई है।

18. इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा एक्स–रे प्लेट मय कवर नोट के संबंध में रेडियोलोजिस्ट को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाए जाने बाबत् जो उज्र उठाया

गया है। जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक दृष्टांत **Soma v. State of Rajasthan, reported in 2020 SCC OnLine Raj 2016** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''the examination of the Radiologist and exhibiting of the X–ray plates is must to prove an offence under Sections 326 and 307 of IPC" इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत में यही अभिनिर्धारित किया है कि गंभीर चोट साबित करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट को पेश करना आवश्यक है। गवाह पी.डब्ल्यू.–04 डॉ. लोकेश चावला ने यह भी जाहिर किया है कि रेडियोग्राफर प्रदीप कुमार द्वारा एक्स–रे किया गया था। उक्त प्रदीप कुमार भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त गवाह रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। ऐसे में मजरूबान अनिल कुमार व सुरेश कुमार के शरीर पर गंभीर प्रकृति की चोट कारित होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में भी रेडियोलॉजिस्ट के परीक्षित नहीं होने से मजरूबान के शरीर पर आई गंभीर प्रकृति की चोट उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर माने जाने योग्य नहीं है और अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित नहीं जानी जा सकती।

19. जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा धारदार हथियार से मारपीट किए जाने का प्रश्न है तो अभियुक्तगण की इत्तिला पर उनके कब्जे से गण्डासी व कुल्हाड़ा बरामद हुई है, जिसकी ताईद अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.–11 रामेश्वरलाल व न्यायालय में परीक्षित अन्य पुलिस जाप्ता के गवाहान पी.डब्ल्यू.–06 विकास, पी.डब्ल्यू.–07 रामस्वरूप, पी.डब्ल्यू.–08 श्रीमती दीपक व पी.डब्ल्यू.–09 श्रीमती बबीता ने की है व अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब्त करना बताया है। अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष उक्त जब्तशुदा गण्डासी व कुल्हाड़ा को न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जिन पर न्यायालय के द्वारा आर्टिकल–01 व 02 डाला गया है, जिसके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण की और से दौराने बहस किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है और अभियुक्तगण ने भी बयान मुलजिम के प्रक्रम पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि उक्त जब्तशुदा हथियार उन्होंने बरामद न करवाए हो। ऐसे में अभियुक्तगण के द्वारा मजरूबान अनिल कुमार व सुरेश कुमार के धारदार हथियार से चोटें कारित करना प्रकट होता है।

20– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 21.07.2015 को समय 2.00 पी.एम. पर ग्राम भूरासर में अन्य सह अभियुक्त के साथ

सामान्य आशय के अग्रसरण में सुरेश कुमार व अनिल के साथ स्वेच्छया धारधार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 326 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। पक्षकारान् के मध्य पूर्व में ही धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा होने से अभियुक्तगण को उक्त अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाना व धारा 326 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश –

21– परिणामतः अभियुक्तगण 01. विरेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर, उम्र 52 साल व 02. कोशल्या पत्नी विरेंद्र कुमार, उम्र 50 साल, निवासीगण भूरासर, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा **324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है व धारा 326 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में पूर्व में बरूये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू

दण्ड के प्रश्न परः–

22– अभियुक्तगण को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि उनकी पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है, ना ही अभियुक्तगण का कोई अपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अतः उन्हें परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। इसके विरोध में विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः उन्हें कड़े से कड़े दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

23– उभय पक्ष के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर अभियुक्तगण को धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। पत्रावली पर अभियुक्तगण का पूर्व

आपराधिक रिकार्ड नहीं है तथा इस बाबत् अभियुक्तगण ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अभियुक्तगण वर्ष 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

24– फलस्वरूप अभियुक्तगण 01. विरेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर, उम्र 52 साल व 02. कोशल्या पत्नी विरेंद्र कुमार, उम्र 50 साल, निवासीगण भूरासर, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तुरंत कारावास से दण्डित करने के बजाय अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि अभियुक्तगण एक वर्ष की अवधि के 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र–) की प्रतिभू एवं इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा देवे कि वे इस अवधि के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, शांति एवं सदव्यवहार बनाए रखेंगे, न्यायालय द्वारा आहुत किए जाने पर उपस्थित होकर आदेशानुसार सजा भुगतेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

25. साथ ही अभियुक्तगण पर धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के तहत **2,500/–रूपये + 2,500/–रूपये कुल 5,000/–रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र)** बतौर क्षतिपूर्ति व्यय अधिरोपित किये जाते है, जो बाद गुजरने मियाद आहतगण/मजरूबान सुरेश कुमार व अनिल को दिलवाया जावे।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू

26– निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

NAGENDRA VINOD KUMAR PUROHIT
Digitally signed by NAGENDRA VINOD KUMAR PUROHIT
Date: 2026.03.26 10:39:34 +0530

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू